रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-113/2019/2153/22-2-2019-17(815)/2019

लखनऊ:दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गॉधी की 150 वीं जयन्ती (दिनांक 02 अक्टूबर, **2019) के अवसर पर जिला कारागार,** लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीटू उर्फ प्रवीण कुमार अवस्थी पुत्र श्री प्रकाश अवस्थी, जो टिकौला, थाना-नीमगांव, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-144/2017 में भा0द0वि0 की धारा-392, 411 के अधीन दिनांक 16.04.2018 को मा0 न्यायालय सि0जे0 (जे0डी0)/एफ0टी0सी0, लखीमपुर खीरी द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया तथा जिनके द्वारा दिनांक 05.04.2019 तक 02 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है, जो कुल दी गयी सजा के 66 प्रतिशत से अधिक है एवं जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-113/2019/2153(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार लखीमपुर खीरी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in